

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत
पत्रांक 114-1, पीलीभीत, दिनांक- 09/11/2022
(बनकटी रोड, पीलीभीत- 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग संख्या-62 पी०ए० के चैनेज 14.346 से 14.381 बाँयी पटरी पर ग्राम-चरखौला तहसील-बीसलपुर जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु 0.114123 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/०६/२६८/२०२२/एफ०सी०/५६७ दिनांक- 03.10.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक- 1268/11-सी-FP/UP/Others/31275/2018 Date 07.10.2022 तथा प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 1251/15-1 दिनांक- 18.10.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत द्वारा अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है।

अतः निराकरण के उपरान्त प्रस्ताव/आख्या 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

Sl. No.	Condition	Compliance/Undertaking
1.	Revised CA scheme and related documents for plantation of 228 saplings over an area of 0.228 ha shall be submitted and uploaded PARIVESH portal.	228 पौधे रोपित करने का संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है तथा परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2.	NPV calculation and penal NPV calculation needs to be submitted at revised rates as per orders dated 06.01.2022&19.01.2022.	दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 द्वारा निर्धारित दरों पर संशोधित एन०पी०बी० एवं दण्डात्मक एन०पी०बी० की गणना संलग्न है।
3.	Part-ii of the proposal at column-11&12 needs correction/clarification.	Part-ii of the proposal at column-11&12 में ऑनलाइन correction/clarification. कर दिया गया है।
4.	If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation. Authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act as may be applicable.	प्रदेश सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट स्थापित करने पर रेंज केस सं०-19/2017-18/बीसलपुर दिनांक- 18.03.2018 द्वारा जारी किया गया तथा ई-3 संख्या-12/3502 दिनांक 24.01.2019 द्वारा रू०-20000.00 प्रतिकर के रूप में जमा कर दिनांक 25.01.2019 को केस प्रशमित किया गया तथा प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख/अन्य अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।
5.	The State Govt. should inform about the action taken under IFA 1927.	कम सं०-4 के अनुसार कार्यवाही की गयी है।

संलग्नक- यथोपरि।

कार्यालय
प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत भवदीय,
रजिस्टर सं.
पत्रावली संख्या 15-1 (ललित कुमार वर्मा)
दिनांक 11-11-22 मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

पत्रांक 852 /अ-दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 प्रतियों मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

(ललित कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक,

प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,

पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।